



2026:AHC:66079

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 1936 वर्ष 2026

बॉबी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: हरदेव प्रजापति

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 65 (क्रम संख्या-103 वर्ष 294)

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आज दायर किए गए प्रत्युत्तर हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री हरिओम राय, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-167 वर्ष 2021 में धारा 304, 504, 506 भ०द०वि०, थाना सिकंदरपुर, जिला कासगंज के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. यह आवेदक की ओर से दूसरा ज़मानत आवेदन है। पहले मामले को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-52304 वर्ष 2023 में पारित दिनांक 14.08.2025 के आदेश द्वारा अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"1. सूची को संशोधित किया गया है। सूचनाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।



2. आवेदक की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता श्री हरदेव प्रजापति की बीमारी पर्ची है।
3. आदेश पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक के अधिवक्ता श्री हरदेव प्रजापति की बीमारी पर्ची पर मामले को दो बार स्थगित कर दिया गया था। श्री गीतम सिंह, जिनका नाम कारण सूची में आवेदक के अधिवक्ता के रूप में दिखाया गया है, भी उपस्थित नहीं हैं।
4. इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध मामलों में से अधिकांश में पेश नहीं किया जा रहा है, वह भी कई तिथियों पर। आवेदक के अधिवक्ता की गैर-उपस्थिति पेशेवर कदाचार के बराबर है। यह बेंच हंटिंग या फोरम शॉपिंग के समान भी है।
5. ईश्वरलाल माली राठौड़ बनाम गोपाल, (2021) 12 एस.सी.सी. 612 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अदालतें नियमित तरीके से और यांत्रिक रूप से स्थगन नहीं देंगी और न्याय देने में देरी का कारण बनने वाली पार्टियाँ नहीं होंगी। यह भी कहा गया कि कुशल न्याय वितरण प्रणाली की शुरुआत करने और कानून के शासन में विश्वास बनाए रखने के लिए अदालतों को मेहनती होना चाहिए और समय पर कार्रवाई करनी होगी।
6. केवल ज़मानत आवेदन के लंबित होने से आवेदक के पक्ष में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। इसे लंबित मामलों की आड़ में वर्षों तक एक साथ झूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आवेदक को बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के न्यायिक कार्यवाही से बार-बार अनुपस्थित रहकर न्याय की धारा को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गैर-उपस्थित होने के लिए किसी भी कारण की अनुपस्थिति कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, भले ही आदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।
7. न्यायालय के संसाधन जिसमें बहुमूल्य न्यायिक समय शामिल है, दुर्लभ हैं और पहले से ही लोचदार सीमा से परे फैले हुए हैं। मूल्यवान न्यायालय का समय, जिसे गंभीर न्यायिक कार्रवाई के निर्णय में संलग्न होने की आवश्यकता होती है, तुच्छ और कष्टप्रद मुकदमेबाजी पर बर्बाद होता है जो गलत है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एक



न्यायिक प्रणाली के पास वास्तविक शिकायतों वाले लोगों को अनुचित देरी के बिना न्याय देने के लिए पर्याप्त संसाधनों से कम है। इसलिए, तेजी से, न्यायालयों ने माना है कि न्यायिक समय के पूरी तरह से अनुचित उपयोग पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और बहुमूल्य न्यायिक संसाधनों को बर्बाद करने वाले पक्ष को न केवल विरोधी बल्कि न्यायिक प्रणाली को भी मुआवजा देने की आवश्यकता होनी चाहिए।

8. अश्वनी कुमार श्रीवास्तव बनाम डी. सेन गुप्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे, 2008 एस.सी.सी. ऑनलाइन ऑल 723 में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रस्तर-22 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है:

"22. न्यायालय के अधिकारी होने के नाते अधिवक्ताओं का न केवल न्यायालय के प्रति बल्कि अपने मुवक्किलों का भी कर्तव्य है कि वे मामलों का शीघ्रता से निर्णय लें ताकि न्याय प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। न्यायालय का समय इस कारण से कीमती है कि यह जनता का समय है और इसका उपयोग उन मामलों के निर्णय के लिए किया जाना चाहिए जिनमें सार है और जिन्हें जल्द से जल्द तय करने की आवश्यकता है। न्याय की भुजा को पीड़ित व्यक्ति तक तेजी से न्याय पहुंचाना चाहिए। यदि न्यायालय का समय बर्बाद हो जाता है, और वह भी, तुच्छ और फर्जी मुकदमेबाजी द्वारा शेर का हिस्सा बर्बाद हो जाता है, तो यह उस समय को छीनने के लिए बाध्य है जिसका उपयोग वास्तव में जरूरतमंद वादियों के लिए किया जा सकता था। समय आ गया है जब बार के विद्वान सदस्यों को इस अवसर पर उठना चाहिए और अपने मुवक्किलों को यह बताकर तुच्छ और फर्जी मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करना चाहिए कि वे इस तरह के मुकदमेबाजी में पक्षकार नहीं होंगे। तुच्छ मुकदमेबाजी केवल न्यायालय पर बोझ बढ़ाती है और वास्तविक वादियों को ऐसे समय में न्याय की बौछार से वंचित करती है जब उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। कहने की जरूरत नहीं है, यह विशेष रूप से संस्था और बड़े पैमाने पर जनता के लिए स्वस्थ होगा और यह पवित्र संस्था अधिक गति से योग्य मामलों में न्याय प्रदान करने के अपने संवैधानिक दायित्व को प्राप्त करने में सक्षम होगी।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने मामले को आगे बढ़ाने में रुचि खो दी है।



10. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस ज़मानत आवेदन पर विचार करने से इनकार करता है। तदनुसार, अभियोजन के अभाव में आवेदन खारिज+ किया जाता है।

11. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय/प्राधिकरण को तत्काल सूचित करे।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। मृतक की बेटी, केएम सारंगी ने अपनी जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है; इस प्रकार, प्रस्तुत मामले में आवेदक को दोषी ठहराए जाने की कोई संभावना नहीं है। प्राथमिकी दर्ज करने से पहले, सूचनाकर्ता थाना आया था और 01.10.2021 को शाम 7:30 बजे अपने भाई का शव परीक्षण करने के लिए एक आवेदन दिया था, जिससे उसने आवेदक की भागीदारी के बारे में एक भी शब्द नहीं बताया; इस प्रकार, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। एक कुल्हाड़ी की बरामदगी आवेदक पर थोपी गई है, क्योंकि इसे एक खुली जगह से बरामद किया गया है और मृतक द्वारा कोई कटा हुआ घाव नहीं है। आवेदक 21.10.2021 से जेल में है; इस प्रकार, कारावास की अवधि साढ़े चार वर्ष है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. ततस्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में है और घटना का एक चश्मदीद गवाह है। आवेदक की ओर इशारा करते हुए एक कुल्हाड़ी की बरामदगी होती है; इस प्रकार, वह ज़मानत का हकदार नहीं है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 06.02.2026 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, दो गवाहों से पूछताछ की गई है। दोनों गवाहों की मुख्य परीक्षा 01.08.2022 और 17.08.2022 को आयोजित की गई थी, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण जिरह का अवसर बंद कर दिया गया था। धारा 311 द०प्र०स० के तहत आवेदक के अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, और उसे अनुमति दी गई थी, और उन्होंने क्रमशः 26.08.2025 और 22.09.2025 को गवाहों से जिरह की, यानी लगभग तीन साल की देरी के बाद।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उक्त स्थिति रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी की ओर से मुकदमे में देरी हो रही है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है और लगभग तीन साल की देरी के बाद की गई जिरह के दौरान अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता है। ज़मानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त जैसा कि विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702, में उच्चतम न्यायालय के हालिया जल्द से जल्द तय किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मार्च 30, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)